दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली: 110002
☎ 23490260, 23724560, 23311293 वेबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: einc-pwd@delhi.gov.in, dirp-pwd@delhi.gov.in

संख्याः इ–इन–सी / पी / 48(2) / 2025 / 7351 दिनांक 28.09.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः Advisory regarding payment of Bonus to Contractual/Outsourced employees under Payment of Bonus Act, 1965.

लोक निर्माण विभाग सचिवालय, दिल्ली सरकार कार्यालय के डायरी सं. पीडब्ल्यूडी / 2025 / 19596 दिनांक 17.09.2025 के अन्तर्गत प्रेषित अपर लेबर कमीश्नर,कार्या0 सचिव कम कमीश्नर(लेबर),लेबर विभाग,दिल्ली सरकार,श्याम नाथ मार्ग,सिविल लाईन्स,दिल्ली कार्यालय द्वारा अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों को बोनस भुगतान के संबंध में जारी एडवाईजरी सं.15(46) / लेबर / 2020 / 2997–3000 दि.11.09.2025 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। एडवाईजरी में अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों को बोनस भुगतान हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है ।

अनुरोध है कि लेबर विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। बोनस भुगतान नियम, 1965 के पैरा 12 के अनुसार ऐसे कर्मी जिनका वेतन बोनस निर्धारित सीमा (रू.21000/–) से अधिक है, को बोनस का भुगतान बोनस नियम 1965 के पैरा 10 व 11 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। ऐसे मामलों में बोनस की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

$$\frac{\text{रू. } 21000 \times 12 \times 8.33}{100} = 20991.60 \text{ अर्थात } 20992/–$$

अन्य कर्मियों को जिनका वेतन निर्धारित सीमा (रू.21000) से कम है, को बोनस का भुगतान उनके वास्तविक वेतन के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा :

$$\frac{\text{वास्तविक वेतन} \times 12 \times 8.33}{100}$$

यह पत्र प्रमुख अभियंता महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है ।

Baldev 26/9/2025
(बलदेव राज)
O/C ~~सहायक~~ प्रशासनिक अधिकारी–2
26/9

सेवा में
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सभी प्र0 मुख्य अभियंता / मुख्य अभियंता कार्यालय ।